न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 21 / 2019 (उदयपुर डिक्री)

श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी मीठालाल जी, निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती केशी बाई पुत्री स्वर्गीय कालू जी पत्नी तुलसीराम डांगी, निवासी रेलडा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती पप्पू बाई पुत्री स्वर्गीय कालू जी पत्नी चेनराम डांगी, निवासी थोरियाखेडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. मोहनलाल पिता कन्हैयालाल जी जैन, निवासी शिवनगर, मकान नंबर 8, गायरियावास मेन रोड़, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती मैना देवी पत्नी शिखर कुमार जी जैन, निवासी मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती कुसुम कुंवर पत्नी हेमेन्द्र सिंह जी सांखला, निवासी साकरिया खेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. पप्पूलाल पिता भेरूलाल जी डांगी, निवासी वागरोदी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
8. भुपेन्द्र पिता शंकरलाल जी गुर्जर, निवासी 166, गोरेला दरडा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
9. पूनमचन्द पिता टेकचन्द जी गायरी, निवासी 29 / 1444, कुम्हारों का भट्टा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी मावली
दिनांक 03.09.2007 प्र. सं. 96 / 06

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री सुखलाल मेघवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री रामलाल मेघवाल अभिभाषक रे.सं. 1, 2
3– श्री हर्षवर्धन जैन अभिभाषक रेस्पो0 सं0 3
4– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय दिनांक 20–02–2020

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वागरोदी में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 16 रकबा 20 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नंबर इसी कलम में नीचे अंकित अनुसार हैं। वादिया प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री एवं प्रतिवादी संख्या 2 की बहन होकर विवादित भूमि उनकी मौरूसी भूमि है, जिसमें वादिया का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा है। पक्षकारों के मध्य अभी विभाजन नहीं हुआ है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 के मन में फितूर आ जाने से आराजी नंबर 317 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा का विक्रय प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में कर दिया गया, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है, न ही कब्जा सौप सकते हैं, क्योंकि अभी उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। अतः विवादित आराजीयात का पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में किये गये विक्रय को वादिया के विरूद्ध शून्य एवं बेअसर घोषित किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जबकि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा बताया कि विवादित भूमि उसके द्वारा खातेदार कालू से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गयी है। विक्रय पत्र शून्य घोषित कराने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः वादीया का वाद खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर कुल 4 तनकियात कायम की गयी तथा तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक

03–09–2007 से वादीया का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 13–05–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री रामलाल मेघवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 की ओर से वकील श्री हर्षवर्धन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14–04–2019 को हुई, तत्पश्चात नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 03–09–2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील दिनांक 13–05–2019 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब 11½ वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी एवं देरी का कोई स्पष्ट कारण उनके द्वारा नहीं बताया गया है, जबकि देरी अपील प्रस्तुत करने के मामले में प्रत्येक दिन की देरी को स्पष्ट किया जाना आवश्यक होता है, तद्नुसार अपील मियाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अपीलान्ट द्वारा दफा 96 जा.दी. का आवेदन भी प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी नंबर 326 व 327 का रजिस्टर्ड क्रय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है, जिससे वह प्रभावित पक्षकार है। अतः उसे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

उक्त आवेदन पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट उक्त भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 से क्रय करने का कथन करता है। विवादित भूमि का वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में निर्णय होकर उसके द्वारा भूमि का विक्रय किया गया है तथा उसके क्रेताओं द्वारा भी भूमि का आगे किया जा चुका गया है। अपीलान्ट यदि

अपने पक्ष में किये गये विक्रय पत्र के आधार पर कोई अधिकार चाहती है तो वह अपने क्रेता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 9 से ही प्राप्त करने से ही अधिकारी है, किसी अन्य रेस्पोन्डेन्ट के विक्रय पत्रों को चुनौती देने के लिए अपीलान्ट सक्षम नहीं है। तद्नुसार अपीलान्ट को उक्त निर्णय से प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता एवं उसे वर्तमान रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–09–2007 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20–02–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती बसन्तीदेवी पत्नी मिठालाल निवासी खेमपुर, तहसील मावली, जिला उदयपुर बनाम **श्रीमती केशीबाई पुत्री स्वर्गीय कालू पत्नी तुलसीराम डांगी, नि0 रेलडा, तहसील मावली व अन्य**

अपील नं.....**21 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **मावली** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....03**.....माह.....**09**.....**2007**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**20**....माह.....**02**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**सुखलाल मेघवाल**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**रामलाल मेघवाल/हर्षवर्धन**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नहीं होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–09–2007 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**20**.....माह.....**02**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.03.02 14:43:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: